कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 257/2026 **प्रेस विज्ञप्ति** दिनांक- 05.07.2026

थाना तरवां, जनपद आजमगढ़

- **नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाले अभियुक्त को तरवां पुलिस ने किया गिरफ्तार**
- पीड़िता सकुशल बरामद, बयान के आधार पर बीएनएस एवं पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में की गई बढ़ोत्तरी

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं महिला/बाल अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना तरवां पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए पीड़िता को सकुशल बरामद कर लिया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक **30.06.2026** को थाना तरवां क्षेत्र से एक नाबालिग किशोरी को अभियुक्त द्वारा बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने की सूचना प्राप्त हुई। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन किए जाने के बावजूद उसका कोई पता नहीं चल सका। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना तरवां पर दिनांक **02.07.2026** को **मु0अ0सं0-138/2026** धारा **137(2), 87 बीएनएस** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक राम प्रसाद यादव द्वारा की जा रही थी।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी का विवरण

विवेचना के दौरान दिनांक **06.07.2026** को उपनिरीक्षक राम प्रसाद यादव मय पुलिस टीम क्षेत्र में मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर **परमानपुर चौराहे** से अभियुक्त **डिलेश उर्फ दिलेश उर्फ कार्तिक विश्वकर्मा** को समय लगभग **12:50 बजे** गिरफ्तार किया गया तथा पीड़िता को सकुशल बरामद कर लिया गया।

पीड़िता के न्यायालयीन/विवेचनात्मक बयान के आधार पर अभियोग में **धारा 65(1) बीएनएस** एवं **धारा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट** की बढ़ोत्तरी की गई।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0-138/2026 धारा **137(2)/87/65(1) बीएनएस** एवं **3/4(2) पॉक्सो एक्ट**, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त

- **डिलेश उर्फ दिलेश उर्फ कार्तिक विश्वकर्मा** पुत्र झिलमीट विश्वकर्मा निवासी ग्राम कम्थारी, थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ उम्र लगभग 18 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 राम प्रसाद यादव, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़
2. रि0का0 सूरज कुमार यादव, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़

थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़

● फर्जी चिकित्सकीय उपचार के दौरान महिला की मृत्यु के मामले में वांछित डॉक्टर एवं कम्पाउण्डर गिरफ्तार

● थाना दीदारगंज पुलिस की त्वरित कार्रवाई, मुकदमा दर्ज होने के 48 घंटे के भीतर दोनों अभियुक्त पुलिस गिरफ्त में

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना दीदारगंज पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। फर्जी चिकित्सकीय उपचार एवं कथित गलत इंजेक्शन लगाने के कारण महिला की मृत्यु के मामले में वांछित डॉक्टर एवं कम्पाउण्डर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक **04.07.2026** को वादी द्वारा थाना दीदारगंज पर प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि दिनांक **03.07.2026** को उनकी पत्नी की अचानक तबीयत खराब होने पर उन्हें उपचार हेतु गांव के एक निजी चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक द्वारा अपने कम्पाउण्डर को दवा एवं इंजेक्शन देकर मौके पर भेजा गया, जिसने इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के कुछ समय बाद महिला की तबीयत और अधिक बिगड़ गई। परिजन उपचार हेतु उन्हें शाहगंज (जनपद जौनपुर) ले जा रहे थे, किन्तु रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दीदारगंज पर **मु0अ0सं0-130/2026** धारा **105 बीएनएस** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना उपनिरीक्षक रज्जन कुमार द्विवेदी द्वारा की जा रही है। विवेचना के दौरान कम्पाउण्डर का सही नाम **नीरज कुमार प्रजापति** प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण

दिनांक **06.07.2026** को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी फूलपुर के पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी दीदारगंज के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित दोनों वांछित अभियुक्तों को **पल्थी बाजार (शाहगंज रोड तिराहा)** से समय लगभग **07:40 बजे** गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ के दौरान दोनों अभियुक्तों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के संबंध में जुर्म स्वीकार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0-130/2026 धारा **105 बीएनएस**, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. **अशोक कुमार मौर्या** पुत्र संतराज मौर्या, निवासी ग्राम नौहरा, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़।
2. **नीरज कुमार प्रजापति** पुत्र नन्दलाल प्रजापति, निवासी ग्राम कैथौली, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 रज्जन कुमार द्विवेदी, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़।
2. का0 ऋषिकेश, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़।
3. रि0का0 मोनू मद्धेशिया, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़।

थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़

● गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई, संगठित अंतर्राज्यीय टप्पेबाज गिरोह की लगभग ₹15 लाख मूल्य की चार वाहन कुर्क

● जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत अपराध से अर्जित संपत्ति पर पुलिस का प्रभावी प्रहार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में संगठित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बिलरियागंज पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत प्रभावी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय टप्पेबाज गिरोह के सदस्यों की लगभग ₹15 लाख मूल्य की चार वाहनों को कुर्क किया गया है। यह कार्रवाई अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति पर प्रभावी प्रहार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

थाना जीयनपुर पर **मु0अ0सं0-507/2025** धारा **3(1)/2(b)(1) उपधारा (17) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986** के अंतर्गत एक संगठित अंतर्राज्यीय आपराधिक गिरोह के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

विवेचना के दौरान यह प्रकाश में आया कि गिरोह का सरगना **राज उर्फ सावरिया** अपने सहयोगियों के साथ मिलकर प्रयागराज महाकुम्भ, अयोध्या, काशी विश्वनाथ मंदिर, लखनऊ सहित विभिन्न जनपदों के मेलों एवं भीड़भाड़ वाले धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के सोने-चांदी के आभूषण एवं नकदी की टप्पेबाजी/स्नेचिंग जैसी वारदातों को अंजाम देकर अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करता था।

मामले की विवेचना थाना बिलरियागंज द्वारा की जा रही है, जिसमें अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों का विवरण संकलित कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

कुर्की की कार्रवाई

मा0 जिलाधिकारी, आजमगढ़ द्वारा पारित आदेश (वाद संख्या **1709/2026** एवं **1710/2026**, आदेश दिनांक **21.04.2026**) के अनुपालन में दिनांक **05.07.2026** को थाना बिलरियागंज पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा **14(1)** के अंतर्गत अभियुक्तों के स्वामित्व वाले चार वाहनों को नियमानुसार कुर्क कर थाना परिसर में सुरक्षित रखा गया।

कुर्क की गई संपत्ति का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग **₹15 लाख** है।

कुर्क किए गए वाहन

1. **MAESTRO EDGE (Cast Wheel)**
   वाहन संख्या **UP 50 CC 1456**
   स्वामी – **राज उर्फ सावरिया** पुत्र सुरेश राम।
2. **Hero Splendor+ XTEC 2.0 (DRS)**
   वाहन संख्या **UP 50 DD 8778**
   स्वामी – **राज उर्फ सावरिया** पुत्र सुरेश राम।
3. **Hero Splendor+ XTEC 2.0 (DRS)**
   वाहन संख्या **UP 50 CS 5876**
   स्वामी – **अरुण कुमार उर्फ समर** पुत्र सुरेश राम।
4. **Hyundai Venue 1.2 Kappa MT SX**
   वाहन संख्या **UP 50 CS 6046**
   स्वामी – **अरुण कुमार उर्फ समर** पुत्र सुरेश राम।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0-507/2025 धारा **3(1)/2(b)(1) उपधारा (17) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986** थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

जब्ती करने वाली पुलिस टीम

1. अमित कुमार मिश्र, थानाध्यक्ष बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।
2. का0 सतपाल सिंह, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।
3. रि0का0 बैजनाथ मद्देशिया, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।
4. रि0म0आ0 हर्षिता द्विवेदी, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

जनपद आजमगढ़ पुलिस संगठित अपराध, गैंगस्टर एवं अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई करती रहेगी।

थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़

● मंदिर परिसर से टुल्लू पम्प चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी गया पम्प बरामद

● **जीयनपुर पुलिस की त्वरित कार्रवाई, मुकदमा दर्ज होने के कुछ ही घंटों में घटना का सफल अनावरण**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना जीयनपुर पुलिस ने मंदिर परिसर से चोरी हुए टुल्लू पम्प की घटना का सफल अनावरण करते हुए नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर चोरी गया टुल्लू पम्प बरामद किया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक **05.07.2026** को थाना जीयनपुर क्षेत्र स्थित एक मंदिर के पुजारी द्वारा थाना जीयनपुर पर तहरीर देकर अवगत कराया गया कि रात्रि में मंदिर परिसर में लगा टुल्लू पम्प अज्ञात रूप से खोलकर चोरी कर लिया गया। स्थानीय लोगों द्वारा एक व्यक्ति का नाम प्रकाश में आने पर प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जीयनपुर पर **मु0अ0सं0-0295/2026** धारा **303(2) बीएनएस** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना उपनिरीक्षक विनय कुमार सहाय द्वारा की जा रही थी।

गिरफ्तारी एवं घटना का अनावरण

दिनांक **05.07.2026** को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), क्षेत्राधिकारी सगड़ी के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक जीयनपुर के नेतृत्व में उपनिरीक्षक विनय कुमार सहाय मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त **सुदामा पुत्र रामजीत** को उसके घर, ग्राम नदौरा तरकारी से समय लगभग **04:20 बजे सायं** गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी गया **एक अदद टुल्लू पम्प** बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में **धारा 317(2) बीएनएस** की बढ़ोत्तरी की गई तथा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- **सुदामा** पुत्र रामजीत निवासी ग्राम नदौरा तरकारी, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 53 वर्ष।

बरामदगी

- एक अदद चोरी का **टुल्लू पम्प**।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0-0295/2026 धारा **303(2)/317(2) बीएनएस**, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 विनय कुमार सहाय, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।
2. उ0नि0 दलप्रताप सिंह, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।
3. का0 शिवम तिवारी, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 06.07.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा गैंग0 एक्ट अपराध के आरोप में जुर्म स्वीकृत के आधार पर **जेल मे बितायी गयी अवधि 02 वर्ष 10 दिवस के साधारण कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

थाना सरांयमीर में पंजीकृत अपराध जिसमें गैंग0 एक्ट अपराध के आरोप में 01 आरोपी अभियुक्त को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि 02 वर्ष 10 दिवस के साधारण कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक-**02.10.2010** को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री शशि भूषण राय थानाध्यक्ष थाना सरांयमीर, जनपद आजमगढ़ ने लिखित फर्द दी थी कि **अभियुक्त इमरान पुत्र मो0 ईशा सा0 कस्बा सरायमीर, थाना सरांयमीर, जनपद आजमगढ़ द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध कारित करना।**

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना सरांयमीर पर मु0अ0सं0- 784/2010 धारा- 3(1) यू0पी0 गैंग एक्ट पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ जुर्म स्वीकृत के आधार पर।

➡जिसके क्रम में दिनांक-06.07.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ गैंग0/एफटीसी-1 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त इमरान पुत्र मो0 ईशा सा0 कस्बा सरायमीर, थाना सरांयमीर, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल मे बितायी गयी अवधि 02 वर्ष 10 दिवस के साधारण कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 06.07.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा घर का ताला तोड़कर, घर में घूसकर नकद रुपये व गहनों की चोरी के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए **अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि 01 वर्ष 06 माह के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।**

थाना सिधारी में पंजीकृत अपराध जिसमें चोरी के आरोप मे 01 आरोपी अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि 01 वर्ष 06 माह के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

➡ दिनांक-**28.09.2024** को वादिनी मुकदमा श्रीमती रीता यादव पत्नी रमेश यादव निवासी नई कॉलोनी चकिया, छतवारा, थाना सिधारी, आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि **अभियुक्त विशाल राजभर पुत्र विनोद राजभर,**

निवासी गौरी, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ द्वारा घर के मेन गेट का ताला तोड़कर घर में घूसकर 7000/- रुपये नगद व चैन व अंगूठी चोरी कर ले जाना।

➡ अभियुक्तो के विरूद्ध थाना सिधारी पर मु0अ0सं0- 371/2024 धारा-331(4),305,317(2),317(4) BNS पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ जुर्म स्वीकृति के आधार पर।

➡जिसके क्रम में दिनांक-06.07.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी-1 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त विशाल राजभर पुत्र विनोद राजभर, निवासी गौरी, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ को जुर्म स्वीकृति के आधार पर दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बिताई गयी अवधि 01 वर्ष 06 माह के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक : 06.07.2026
जनपद : आजमगढ़

● "ऑपरेशन दहन" के तहत 827.856 किग्रा मादक पदार्थों का विनष्टीकरण

● जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी की मौजूदगी में न्यायालयीय आदेशानुसार हुई कार्रवाई

● लगभग ₹5.82 करोड़ मूल्य के गांजा, डायजापाम व अन्य मादक पदार्थ नष्ट

जनपद आजमगढ़ में विभिन्न थानों द्वारा पूर्व में बरामद किए गए अवैध मादक पदार्थों का आज दिनांक 06.07.2026 को "ऑपरेशन दहन" के अंतर्गत विनष्टीकरण कराया गया। न्यायालय/सम्बंधित प्राधिकारी के आदेशानुसार जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी की उपस्थिति में कुल 827.856 किग्रा मादक पदार्थ नष्ट किए गए, जिनमें मुख्य रूप से 825.74 किग्रा गांजा, 2.116 किग्रा डायजापाम एवं अन्य मादक पदार्थ शामिल रहे।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में यह विनष्टीकरण मानक प्रक्रिया के अनुरूप मैसर्स सिलिकॉन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, भदो, माहुल, मार्टीनगंज स्थित इकाई में स्थापित इंसीनरेटर/बॉयलर के माध्यम से कराया गया। नष्ट किए गए मादक पदार्थों की अनुमानित कीमत लगभग ₹5,82,15,000 आँकी गई है।

➡ पूरी कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, आवश्यक सावधानियों तथा फोटो/वीडियोग्राफी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई। यह अभियान अवैध मादक पदार्थों के दुरुपयोग, तस्करी एवं अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने की दिशा में जनपद पुलिस की एक महत्वपूर्ण कार्रवाई है।